

दिनांक	आज्ञा पत्र	कोष
--------	------------	-----

23.12.22

पत्रावली पेश। वकील राजेश शर्मा ने
 23.12.22 को पत्रावली पेश की जिसमें
 उल्लेखित पत्रों में मासिक अर्थों के संबंध में
 उल्लेखित पत्रों के संबंध में पत्रावली का
 उल्लेखित दिनांक 19.01.23 को पेश की

19.1.23

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक रांघ ने आज
 न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व
 आदेशानुसार दिनांक 03.2.23 को पेश हो

03-02-2023

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत ने उपस्थित होकर
 जताहर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः
 अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील
 अपीलांत से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे
 अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है।
 फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की
 जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण
 फौजदारी नम्बर से कम होकर बाद तारीख
 तकमील दाखिल बफतर हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर



अपील नोट प्रेस में
 खारिज करवाया
 नही जाई।

गंगाशम
 पत्रावली

[Handwritten Signature]

3/2/23